रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235446
CG-DL-E-29042022-235446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
No. 311]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 325(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 12कख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-

"12कग. आय की अद्यतन विवरणी.-(1) धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन विवरणी फाइल करने योग्य व्यक्ति 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों से संबंधित आय की विवरणी प्ररुप आईटीआर-यू में कर सकता है जो इसमें उपदर्शित तरीके से सत्यापित होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जो उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तरीके में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित है:-

सारणी

क्रम सं.	व्यक्ति	आय की विवरणी देने की रीति
(1)	(2)	(3)
1.	व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसके मामले में अधिनियम की धारा 44 कख के अधीन खाते को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित है या कंपनी या राजनीतिक पार्टी को प्ररुप आईटीआर-7 में विवरणी देना अपेक्षित है।	अंकीय चिह्नक के अधीन इलेकट्रानिक रुप से
2.	व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ख) या उपधारा (4ग) या उपधारा (4घ), उपरोक्त क्र.सं. (1) के संतम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों से अन्य।	(क) अंकीय चिह्नक के अधीन इलेकट्रानिक रुप से (ख) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में डाटा को इलेक्ट्रानिक रुप में प्रेषित करना

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट निर्मिति डाटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी देना व्यष्टि के इलेक्ट्रानिक रुप से सत्यापन के प्रयोजनों के लिए उत्पन्न कोड अभिप्रेत है।

(3) आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रखने और भेजने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रुपविधान और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे और सारणी के संतम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में देने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और क्षतिपूर्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार भी होंगे ।'।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट-2 में, आईटीआर-पाव. के पश्चात् निम्नलिखित आईटीआर-यू (विवरणी अद्यतन करने के लिए आईटीआर) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप	**आ.क.वि.- यू**	**भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी** [व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस महीने के भीतर आय को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कक देखें)

भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)		
(क 1) पैन	(क2) नाम	(क3 आधार संख्या (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं)

(क4) निर्धारण वर्ष [कृपया निर्देश देखें]	**(क 5)** क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए पहले विवरणी फाइल की गई थी**?** ☐ **हाँ** ☐ **नहीं**	**(क 6)** यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल किया गया है ☐ अन्य ☐

(क7) यदि लागू हो, तो फाइल प्ररूप दर्ज करें, पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(कृपया ड्रॉपडाउन से आईटीआर प्रकार चुनें)	पाव.सं.और फाइल करने की तारीख	/ /

(क8) क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक मेंअधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं**?** ☐ **हाँ**☐ **नहीं**
(क9) कृपया अपनी आय को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)
(क10) आपकी आय को अद्यतन करने के कारण: ☐ विवरणी पहले फाइल नहीं किया गया ☐ आय की सही सूचना नहीं दी गई ☐ आय के गलत शीर्ष चुने गए ☐ अग्रेषित हानि में कमी ☐ शेष अवक्षयण में कमी ☐ धारा 115जख/115 जग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी ☐ कर की गलत दर ☐अन्य
(क11) क्या आप अद्यतन विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से ☐12 महीने तक ☐ 12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान फाइल कर रहे हैं
(क12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं**?** ☐ **हाँ**☐ **नहीं** **(ख)** यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन विवरणी के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से चयन करें) ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए पुनरीक्षित विवरणी फाइल की गई है ☐ **हाँ** ☐ **नहीं** ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल की गई है ☐ **हाँ** ☐ **नहीं**

भाग ख - कुल अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना			
1.	क	आय का शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रकम रुपए में
		आय का शीर्ष (यदि हाँ, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)	
	क.	वेतन से आय	
	ख.	गृह संपत्ति से आय	
	ग.	व्यापार या पेशे से आय	
	घ.	पूंजीगत लाभ से आय	
	ङ.	अन्य स्रोतों से आय	

	च.	कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.+च)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल आय (कृपया निर्देश देखें)	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के भाग ख-टीटीआई की "देय राशि" से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर के भाग ख-टीटीआई के " प्रतिदाय " से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो (कृपया निर्देश देखें)	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (धारा 244क के अधीन प्राप्त ब्याज सहित) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर, यदि कोई हो (लागू मामलों में)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) यदि धनवापसी जारी की गई है [3 + 6ii- (5 + 8)])	
		(ii) यदि धनवापसी जारी नहीं की गई है [3 + 6i – (5+8)]	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता [25% or 50% of (9-7)]	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	

14.	कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)				
क	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण				
140ख के अधीन कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष))	चालान रकम की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण►	भाग ख-अति के क्र. सं.11पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग			
	कर संदाय				
ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की पुनः अनुमति नहीं है)				

अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष))	चालान राशि की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण ►	धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की पुनः अनुमति नहीं है			

15. धारा 89के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है]	रुपए

सत्यापन

मैं,_______________ पुत्र/पुत्री_________ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं हूं इस विवरणी को ___________ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाउन) के रूप में अपनी क्षमता में बना रहा हूं और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख: हस्ताक्षर:'.

[अधिसूचना सं. 48/2022/फा. सं.370142/18/2022-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सा.का.नि 309(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2022

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 12AB, the following rule shall be inserted, namely,—

'12AC. Updated return of income.- (1) The return of income to be furnished by any person, eligible to file such return under the sub-section (8A) of section 139, relating to the assessment year commencing on the 1st day of April, 2020 and subsequent assessment years, shall be in the Form ITR-U and be verified in the manner indicated therein.

(2) The return of income referred to in sub-rule (1) shall be furnished by a person, mentioned in column (2) of the Table below in the manner specified in column (3) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Person	Manner of furnishing return of income
(1)	(2)	(3)
1.	Individual, or Hindu undivided family or a firm or limited liability partnership or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or a local authority or an artificial juridical person in whose case accounts are required to be audited under section 44AB of the Act or a Company or a political party required to furnish a return in Form ITR-7.	Electronically under digital signature.
2.	Individual, or Hindu undivided family, or firm, or limited liability partnership, or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or a local authority or an artificial juridical person, or a person required to file a return under sub-section (4A) or sub-section (4B) or sub-section (4C) or sub-section (4D) of section 139, other than a person mentioned in column (2) of Sl. No. (1) above.	(A) Electronically under digital signature; (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

(3) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the return in the manners specified in column (3) of the Table.'.

3. In the principal rules, in Appendix-II, after the ITR-Ack, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be inserted, namely:—

'FORM	**ITR-U**	**INDIAN INCOME TAX UPDATED RETURN** **[For persons to update income within twenty-four months from the end of the relevant assessment year]** ***(Refer instructions for eligibility)*** ***(Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)***

PART A GENERAL INFORMATION – 139(8A)		
(A1) PAN	**(A2) Name**	**(A3) Aadhaar Number (*12 digits*)/Aadhaar Enrolment Id (*28 digits*) (If eligible for Aadhaar No.)**

(A4) Assessment Year *[Please see instruction]*	**(A5) whether return previously filed for this assessment year?** ☐ **Yes** ☐ **No**	**(A6) If yes,** **Whether filed u/s** ☐ **139(1)** ☐ **Others**

(A7) If applicable, enter form filed, Acknowledgement no. or Receipt No. and Date of filing original return (*DD/MM/YYYY*)	**(Please select ITR type from dropdown)**	**Ack no and date of filing**														/ /

(A8) Are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second and third provisos to section 139(8A)?

☐ **Yes** ☐ **No**

(A9) Please choose the ITR form for updating your income (ITRs 1-7 to be selected from drop-down and filled as per the details made available by e-filing utility – see instruction)

(A10) Reasons for updating your income:

- ☐ **Return previously not filed**
- ☐ **Income not reported correctly**
- ☐ **Wrong heads of income chosen**
- ☐ **Reduction of carried forward loss**
- ☐ **Reduction of unabsorbed depreciation**
- ☐ **Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC**
- ☐ **Wrong rate of tax**
- ☐ **Others**

(A11) Are you filing the updated return during the period ☐ **upto 12 months from the end of the relevant assessment year** ☐ **between 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year**

(A12) (a) Are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit? ☐ **Yes** ☐ **No**

(b) If yes, please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit is being affected because of this updated return. *(Please select from drop down menu)*

☐ **Whether revised return has been filed for the AY in (b) above** ☐ **Yes** ☐ **No**

☐ **Whether updated return has been filed for the AY in (b) above** ☐ **Yes** ☐ **No**

PART B – ATI COMPUTATION OF TOTAL UPDATED INCOME AND TAX PAYABLE			
1.	**A**	**Head of income under which additional income is being returned as per Updated Return**	**Amount in Rs**
		Head of income (If yes, Please specify additional income)	
	a	**Income from Salary**	
	b	**Income from House Property**	
	c	**Income from Business or Profession**	
	d	**Income from Capital gains**	
	e	**Income from other Sources**	
	f.	**Total additional income (a+b+c+d+e)**	
	B.	**Total income as per last valid return (only in cases where the Income Tax Return has previously been filed)**	
2.		**Total income as per Part B-TI** (*Please see instruction*)	
3.		**Amount payable, if any (To be taken from the "Amount payable" of Part B-TTI**	

		of the updated ITR) (*Please see instruction*)	
4.		**Amount refundable, if any (To be taken from "Refund" of Part B-TTI of the updated ITR) (*Please see instruction*)**	
5.		**Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)**	
6.		**(i) Refund claimed as per last valid return, if any (*Please see instruction)***	
		(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received) (*Please see instruction)*	
7.		**Fee for default in furnishing return of income u/s 234F**	
8.		**Regular Assessment Tax, if any** *(in applicable cases)*	
9.		**Aggregate liability on additional income,**	
		(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8)])	
		(ii) in case refund has not been issued [3 + 6i – (5+8)]	
10.		**Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% of (9-7)]**	
11.		**Net amount payable (9+10)**	
12.		**Tax paid u/s 140B**	
13.		**Tax due (11-12)**	

14.	**TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)**				
A	**Details of payments of tax on updated return u/s 140B**				
TAX PAID U/S 140B	**Sl No**	**BSR Code**	**Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)***	**Serial Number of Challan**	**Amount (Rs)**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	***NOTE* ▶**	***Enter the totals of tax paid u/s 140B at Sl. No.11 of Part B-ATI***			
	TAX PAYMENTS				
B	**Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, credit for which has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again under section 140B(2))**				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSMENT TAX	**Sl No**	**BSR Code**	**Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)***	**Serial Number of Challan**	**Amount (Rs)**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	***NOTE* ▶**	**Credit for above is not to be allowed again under section 140B(2)**			

15. Relief u/s 89 which is not claimed in earlier return [**relief for the same is not to be allowed under section 140B(2)]**	Rs.

VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as ___________(*drop down to be provided in e-filing utility*) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____________.(*Please see instruction*).

Date: **Signature:'.**

[Notification No. 48/2022/F. No. 370142/18/2022-TPL(Part-1)]

SHEFALI SINGH, Under Secy, Tax Policy and Legislation

Note: The principal rules were published *vide* notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 309(E), dated the 22nd April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.29 23:04:00 +05'30'